



भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

निर्गम-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ)

(मांग संख्या 64)

1. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25) (रुपये करोड़ में)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
10950.00	1) पेंशन के प्रावधान	1.1) सरकारी अंशदान के लिए पात्र ईपीएफ सदस्यों का प्रतिशत (संचयी) [अंश: सरकारी अंशदान प्राप्त करने वाले कुल ईपीएफ सदस्य; हर: कुल ईपीएफ सदस्य]	95%*	1) श्रमिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज	1.1) औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कार्य बल के प्रतिशत ने ईपीएस के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की [अंश = आउटपुट संकेतक 1.1 के अनुसार कुल ईपीएफ सदस्य; हर = देश में कार्यबल की कुल संख्या]	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं@
		1.2) न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत (संचयी) [अंश: ₹1,000 पेंशन प्राप्त करने वाले कुल ईपीएफ सदस्य; हर: कुल ईपीएस पेंशनभोगी]	25%**			
	1.3) डिजिटल आधार आधारित जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	100%^	2) गति	2.1) कुल पेंशन के समय पर वितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	100%	

*अंश को 6,95,58,206 (वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धि) और हर को 7,31,90,893 (ईपीएफओ डैशबोर्ड पर डेटा के अनुसार) मानकर लक्ष्य 95% निर्धारित किया गया है। प्रतिशत सभी तिमाहियों के लिए समान है क्योंकि सभी पात्र ईपीएस सदस्यों को पात्रता के अनुसार 1.16% का लाभ मिलता है। 100% का लक्ष्य रखा जा सकता है, हालाँकि, यह तभी प्रभावी होगा जब ईपीएस की सदस्यता सभी सदस्यों के लिए वेतन सीमा तक अनिवार्य कर दी जाएगी।

**यह उन लाभार्थियों की संख्या को दर्शाता है जिनकी पेंशन फॉर्मूले के अनुसार 1,000/- रुपये से कम है (कम अंशदान या कम पेंशन योग्य सेवा के कारण)। पेंशन को सरकारी अंशदान द्वारा 1,000/- रुपये तक लाया गया है। अतः सटीक लक्ष्य निर्धारण कठिन है। अंश को 19,87,338 (वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपलब्धि) और हर को 78,66,628 (ईपीएफओ डैशबोर्ड पर डेटा के अनुसार) मानकर 25% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

^लक्ष्य 100% रखा जा सकता है बशर्ते (i) केवल उन्हीं पेंशनभोगियों को लाभार्थी के रूप में माना जाएगा जो अपनी डीएलसी जमा करने के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अर्थात् जैसे ही डीएलसी के अभाव में पेंशन बंद हो जाती है, उस पेंशनभोगी को लाभार्थी के रूप में नहीं माना जाएगा; और (ii) 100% का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र को कागज के रूप में जमा करने के कुछ मामले, जैसे चिकित्सा बाध्यता आदि, होंगे।

@औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कुल कार्यबल का डेटा ईपीएफओ के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, 1,000/- रुपये से कम आहरण करने वाले गरीब पेंशनभोगियों के संबंध में सरकार द्वारा ईपीएस, 95 से न्यूनतम पेंशन सहायता प्रदान करने के लिए इसका कोई संबंध नहीं है।

2. ई-श्रम पोर्टल (असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस - एनडीयूडब्ल्यू) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25) (रुपये करोड़ में)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
176.84	1) असंगठित कामगारों को यूनिक आईडी उपलब्ध कराना	1.1) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या	12,00,000	1) असंगठित कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रदायगी की क्षमता	1.1) कुल लक्षित कामगारों के सापेक्ष पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का प्रतिशत [अंश = पोर्टल पर पंजीकृत कुल कामगार (संचयी); हर = योजना के कुल लक्षित कामगारों की गणना पीएलएफएस अनुमानों का उपयोग करके की जा सकती है]	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं@
		1.2) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं की संख्या	4,00,000		1.2) ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित कामगारों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं*
		1.3) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत आकांक्षी जिलों के व्यक्तियों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं@		1.3) एनडीयूडब्ल्यू का उपयोग करने वाले मंत्रालयों / विभागों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं^

@ईएफसी नोट के अनुसार, वर्ष 2024-25 तक ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य 25 करोड़ है, जो व्यय विभाग की मंजूरी से तय किया गया था। हालाँकि, 31.03.2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 29.50 करोड़ पंजीकरण पहले ही किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पीएलएफएस की रिपोर्ट से, संगठित और असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों को अलग करना संभव नहीं है।

*वर्तमान में, पीएमएसवाईएम योजना और एनसीएस पोर्टल ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत हैं। ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या उपलब्ध कराई जा सकती है। हालाँकि, चूँकि ये माँग आधारित योजनाएँ हैं, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

^मानदंड उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह संबंधित मंत्रालयों / विभागों पर आधारित है। इसके अलावा, ई-श्रम डेटा सार्वजनिक रूप से ई-श्रम डैशबोर्ड और www.data.gov.in पर उपलब्ध है। इस प्रकार, सभी मंत्रालयों / विभागों के पास इस जानकारी तक पहुंच है और वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

3. असम में चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25) (रुपये करोड़ में)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
66.20	1) मृत सदस्यों के परिवार को पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) के भुगतान का प्रावधान	1.1) कुल पात्र सदस्यों में से पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) के तहत पंजीकृत सदस्यों की संख्या का प्रतिशत	100%	1) पारिवारिक पेंशन दावों का समय पर संवितरण (7 दिनों के भीतर)	1.1) एफपीएस के अंतर्गत कुल संवितरण का समयानुकूल संवितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	95%
	2) सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले मृत सदस्यों के परिवार को निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) का प्रावधान	2.1) कुल पात्र सदस्यों में से निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का प्रतिशत	100%	2) निक्षेप सहबद्ध बीमा दावों का समय पर संवितरण (7 दिनों के भीतर)	2.1) डीएलआईएस के अंतर्गत कुल संवितरण का समयानुकूल संवितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	95%
				3) असम चाय बागान कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रदायगी की क्षमता	3.1) चाय बागान कामगारों की कुल संख्या में से योजना के अंतर्गत शामिल चाय बागान कामगारों का प्रतिशत*	1.68%

*वित्त वर्ष 2024-25 के लिए असम में चाय बागान कामगारों की कुल संख्या 13.50 लाख अनुमानित की गई है।

4. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25) (रुपये करोड़ में)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
58.00	1) नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना	1.1) एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@	1) नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के लिए एक गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से नौकरी मिलान के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना	1.1) NCS पोर्टल के माध्यम से जुटाई गई रिक्तियों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@
		1.2) एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या				
		1.3) आयोजित किए गए नौकरी मेलों की संख्या	1,500			

@एनसीएस परियोजना लक्ष्य आधारित नहीं है। NCS के तहत गतिविधियां नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के पंजीकरण को बढ़ाने, अधिक रिक्तियों को जुटाने, अन्य सरकारी / निजी नौकरी पोर्टलों के साथ एकीकरण करने, श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच मिलान को मजबूत करने, कैरियर परामर्श सेवाओं को प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

5. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	रूपये करोड़ में)	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक
50.68	1) शिक्षा के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना	1.1) वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	1,00,000	1) शिक्षा के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान करना	1.1) वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त कुल आवेदनों में से अंतिम रूप से सत्यापित / जांच किए गए पात्र आवेदनों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा^
	2) स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना	1.2) वित्त वर्ष 2024-25 में उपचारित मरीजों की संख्या*	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@	2) स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अस्पताल / औषधालयों में पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या**	1.2) श्रमिकों और उनके आश्रितों को प्रदान की गई कुल कवरेज**	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@

*उपचारित मरीजों की संख्या में पंजीकृत कामगारों के आश्रित भी शामिल हैं।

@एलडब्ल्यूएस संबंधी "स्वास्थ्य" घटक एक मांग-संचालित योजना है, इसलिए लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

^राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में एक शैक्षणिक वर्ष में सत्यापन / जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदनों की कुल संख्या बनाम प्राप्त कुल आवेदनों के बीच का अनुपात। यह आकलन करने के लिए कि क्या योजना में कोई संशोधन आवश्यक है, शिक्षा योजना के कवरेज का अध्ययन करना।

**अस्पताल और डिस्पेंसरी में पंजीकृत कामगारों की कुल संख्या स्थिर बनी हुई है, क्योंकि योजना में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत / ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य घटक को एकीकृत करने पर विचार-विमर्श चल रहा है।

6. श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
50.00 (रुपये करोड़ में)	1) सर्वेक्षण आंकड़ों का समय से एकत्र एवं जारी करना	1.1) समय पर पूरे किए जाने वाले सूचकांकों की संख्या	03	1) रोजगार, मजदूरी, कमाई, उत्पादकता और श्रम के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अन्य पहलुओं पर डेटा का सृजन	1.1) वेबसाइट से प्रकाशनों के डाउनलोड की संख्या	3,200
	2) ज्ञान सृजन	2.1) समय पर प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या	16		1.2) वेबसाइट पर आगंतुकों की संख्या	72,000

7. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2024-25)	निर्गम (2024-25)			परिणाम (2024-25)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
20.60 (रुपये करोड़ में)	1) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के नौकरी इच्छुकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएँ प्रदान करना	1.1) व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए पंजीकृत एससी / एसटी के नौकरी इच्छुकों की संख्या	1,40,000	1) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के नौकरी इच्छुकों की रोजगार क्षमता बढ़ाना	1.1) एससी / एसटी उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें एससी/एसटी के लिए एनसीएस द्वारा प्रशिक्षित किया गया है	5,000
		1.2) कैरियर परामर्श सेवाएँ प्रदान किए गए एससी / एसटी के नौकरी इच्छुकों की संख्या	1,40,000			